ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गन जारी.



## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

आयेवन क्र० प्रभाणपत्र क्र लखनऊ सरोजनीनगर 221570030141620

275223012454

जारी दिनांक: 22/09/2022

प्रमाणित किया जाता है वि

प्त्र/प्त्री

माता का नाम

गाम तहसील जिला

सौरब बेरा/SOWRAV BERA

विखिल घन्त बेरा

चिंता हेशा

,एन एस-1286 कामपुर रोड विद्यावती आशियाना संकटर-एच एल डी ए कालोनी

रागुजनीतगर ल- । नऊ

उत्तर प्रदेश राज्य की <u>कुम्हार</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश बोक सेवा अन्यक्तिन जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछाड़े वसों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **साँख बेरा/SOWRAV BERA** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (वैसा कि उत्तर प्रदेश लाक सेवा)अनुसृचित जातियों, अनुसृचित जनजातियों ओर अन्य पिछड़े बगों के लिए आरक्षण (गंशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसुचित जानियों, अनुसुचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गा के लिए आरजण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शामनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III , दिलाक २० अक्टबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छुट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |



जारी कर्ता केन्द्र: मयंक तिवारी, सहज जन सेवा केंद्र MINAKSHI MINAKSHI DWIVEDI पड: भरांक तिवारी, केन्द्र प्रभारी DWIVEDI

स्थान: LUCKNOW,सदर,अन्य

(Other),सरोजनीनगर,सदर दिनॉक: 23/09/2022

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित सरोजनीनगर,लखनऊ बिनॉकं:22/09/2022

हस्ताकर एवं महर यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कभी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन कर फिर प्रमाणपत्र कर अधित कर,सत्यापित िया जा सकता है।